

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 153] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 29, 1978/श्रावण 7, 1900
No. 153] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 29, 1978/SHRAVANA 7, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० : 54- आई टी सी (पी एन) 78

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1978.

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय 1978-79 की आयात-नीति, अफगानिस्तान से आयात

(निसिल सं० आई पी सी/3/19/78 :—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना
सं० 22- आई टी सी (पी एन) /78 दिनांक 3 अप्रैल 1978 के अंतर्गत प्रकाशित आयात-
नीति, 1978-79 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. आयात-नीति, 1978-79 के पृष्ठ 79 पर परिशिष्ट 10 में शर्तें सं० (8) के द्वारा
अफगानिस्तान से सूखे फलों का आयात 31-7-1978 तक स्वीकृत नहीं है। स्थिति की पुनरीक्षा

करने के परवान यह निश्चय किया गया है कि इस आवाध को 2-9-1978 तक बढ़ा दिया जाएगा तदनुसार, उपरि उक्त (8) का इस प्रकार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा -

“(8) सूखे फल और अर्वास्कृत औषधियों के मामले में, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अफगानिस्तान से 2-9-1978 तक आयात स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

का ० वे ० क, शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE No. 54-ITC(PN)/78

New Delhi, the 29th July, 1978

IMPORT TRADE CONTROL

Subject :—Import Policy, 1978-79, imports from Afghanistan.

File No. IPC/3/19/78.—Attention is invited to the Import Policy, 1978-79, published under the Department of Commerce Public Notice No. 22-ITC(PN)/78, dated the 3rd April, 1978.

2. By the condition No. (8) in Appendix 10 at page 79 of the Import Policy, 1978-79 imports of dry fruits are not allowed from Afghanistan upto 31-7-1978. On a review of the position, it has been decided to extend this period upto 2-9-1978. Accordingly the said condition No. (8) shall be amended to read as under :—

“(8) In the case of dry fruits and crude drugs, imports will not be allowed from Afghanistan under Open General Licence upto 2-9-1978”.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports